सं0-11/2016/702/तीन-2016-11(3)/09

प्रेषक,

के0डी0 वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 22 सितम्बर2016

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में रामलीला के व्यय तथा मंदिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं के लिए आल इण्डिया काशी राज ट्रस्ट वाराणसी को अनुदान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ऑल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट, वाराणसी को रामलीला के व्यय को वहन करने तथा मंदिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं के रख-रखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 5,00,000/- (रूपया पॉच लाख मात्र) में से संलग्न विवरण के अनुसार रू 2,50,000/- (रू0 दो लाख पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- अवशेष 50 प्रतिशत (रू0 2,50,000/- मात्र) की वित्तीय स्वीक़ति तभी जारी की जायेगी जब स्वीकृत की गयी है, तथा एकमुश्त कोषागार से आहरित नहीं की जायेगी, बल्कि द्विमासिक फेजिंग करके आवश्यकता के आधार पर कोषागार से आहरित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा बिल को जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का ''फांटवार'' उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये।

4- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ''2250-अन्य सामाजिक सेवायें-आयोजनेत्तर-101-धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये दान-03-रामलीला के व्यय तथा मंदिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध के लिये आल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट, वाराणसी को सहायक अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामें डाला जायेगा।

5-उक्त आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त आदेशों के तहत निर्गत किये जा रहें हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

(के0डी0वर्मा)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

सं0-11/2016/702(1)/तीन-2016-11(3)/09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी, वाराणसी।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।

5- जनरल सेक्रेटरी, आल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट, फोर्ट रामनगर वाराणसी।

6- समन्वय सहायक/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0डी0 वर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

एलॉटमेन्ट आब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट

सामान्य प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या: 84- सामान्य प्रशासन विभाग

लेखाशीर्षक: 2250001010300- राम लीला के व्यय तथा मन्दिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध के लिए आल इन्डिया काशी राज ट्रस्ट वाराणसी को सहायक अनुदान

मानक मद: 20- सहायता**वित्तीय वर्ष**: 2016-2017 (धनराशि रूपये में)

अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)

आवंटन आदेश संख्या	आवंटन तिथि	कोषागार/अधिकारी	आवंटन
001-702-3-2016	22/09/2016	27-वाराणसी-4183 01-जिलाधिकारी	250000
योग:			250000

(कृष्ण दयाल वर्मा)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।